



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित खदानों के सम्मान समारोह में 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने 7 व 5 स्टार माइन्स को सम्मनित किया

भारतीय खान ब्यूरो खनन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्तर दायित्व के आधार पर खदानों की रेटिंग करता है

जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी बने। उन्होंने उद्यमियों का आ न करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वे प्रदेश में निवेश करें, राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे।

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार रेटिंग प्रणाली खनन गतिविधियों

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से 2024-25 में राजस्थान की रॉयल्टी में गत वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।**

■ **बैठक में मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की।**

की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पुरस्कृत खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में भी खदानों का इस तरह से मूल्यांकन कर रेटिंग देने का नवाचार किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

हमारे प्रयासों से 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9 हजार 228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक था। यह रॉयल्टी राजस्व एक रिकॉर्ड है। समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा और जी. किशन रेड्डी ने 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खनन से राजस्व अर्जन के साथ, खनन और पर्यावरण के मध्य संतुलन पर भी विशेष जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिजों की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित एवं तीव्र खनन पर विशेष बल दे रहे हैं।

इस दिशा में राजस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

जज के पद पर नियुक्ति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 2021 से लंबित है, के प्रकरण ने न्यायिक स्वतंत्रता पर कार्यापालिका की लंबी छाया को उजागर किया है। किरपाल का आरोप है कि उनकी नियुक्ति उनकी यौन सम्बंधी प्राथमिकताओं और उनके साथी की राष्ट्रीयता पर उठाई जा रही आपत्तियों के कारण रूकी हुई है।

किरपाल ने कहा है कि इस देरी के बावजूद, वे अपनी सहमति वापस नहीं लेंगे: “मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करूंगा। जब नियुक्तियों की बात होती है, तो यह सिर्फ दो पक्षों, कोलीजियम और सरकार की बात नहीं होती, बल्कि न्यायालयों की भी बात होती है। और अगर न्यायालय कुछ नहीं कर रहे, तो कोई और क्या कर सकता है?”

दातार और मजूमदार वकीलों की उस निरंतर बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने व्यर्थ इंतजार किया। इनमें से एक वकील रामास्वामी नीलकंदन का नाम चार अन्य वकीलों के साथ जनवरी 2023 में अनुशंसित

किया गया था। उन चार वकीलों को फरवरी में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन नीलकंदन, जो ओबीसी वकील हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं।

इसी तरह से, सुभाष उपाध्याय, जिनका नाम अप्रैल 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था, और अरुण कुमार, जिनका नाम मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था, दोनों अभी भी इंतजार कर रहे हैं।

वकील अमित सेठ का नाम अक्टूबर 2023 में सरकार को भेजा गया था, उनका प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए पांच सदस्यीय सूची में से एकमात्र लंबित प्रकरण है।

अब भी 27 वकील अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से चार महिलाएं हैं – शर्मिष्ठा जहां (गुवाहाटी हाईकोर्ट, जनवरी 2024), श्रीजा विजयलक्ष्मी (अप्रैल 2024), ताजल वाशी (गुजरात हाईकोर्ट, अक्टूबर 2024), और शीतल मिर्षा (राजस्थान हाईकोर्ट, मार्च 2025)।

दलाई लामा के जन्म...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था, के दौरान भारत की सैन्य स्थिति की रियल-टाइम जानकारी मिल रही थी। भारत और चीन के बीच, दलाई लामा और भारत में उनकी मौजूदगी को लेकर, अकसर कूटनीतिक टकराव होता रहा है। भारत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार को शरण दी हुई है।

दलाई लामा 1959 में चीन से भागकर भारत आए थे, जब चीनी सेना ने तिब्बत में घुसकर नियंत्रण ले लिया था। तब से भारत ने उन्हें और उनकी निर्वासित सरकार को शरण दी है, जिससे चीन को हमेशा आपत्ति रही है।

अब, जब दलाई लामा अपने जीवन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। दलाई लामा ने हमेशा कहा है कि उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का पुनर्जन्म होता है और नए दलाई लामा की पहचान एक पारंपरिक और रहस्यमयी प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसे सदियों से अपनाया जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि उच्चतम लामाओं का चयन उसकी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मंजूरी की गई एक सरकारी प्रक्रिया से ही होगा।

इसमें सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि लॉटरी पद्धति। भावी लामाओं के नाम गोल्डन अर्न (सोने के घड़े) में रखे जाते हैं, जो कि कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दिया गया होता है। इस प्रक्रिया ने तिब्बती बौद्धों के बीच भारी नाराजगी और नफरत पैदा की है।

भविष्य के दलाई लामा की पहचान पूर्व में पुराने पारंपरिक तरीकों से अनुयायियों के बीच से की जाती थी। तथापि, जैसे ही एक लड़के को दलाई लामा घोषित किया गया, उसे बीजिंग की सरकार ने अगवा कर लिया और तब से उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

कभी-कभी दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया कि यह परंपरा खत्म की जा

सकती है और आगे कोई दलाई लामा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी राय बदली और अब यह माना जा रहा है कि दलाई लामा की संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी।

बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार, दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है और नए दलाई लामा की पहचान एक पारंपरिक और रहस्यमयी प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसे सदियों से अपनाया जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि उच्चतम लामाओं का चयन उसकी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मंजूरी की गई एक सरकारी प्रक्रिया से ही होगा। इसमें सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि लॉटरी पद्धति। भावी लामाओं के नाम गोल्डन अर्न (सोने के घड़े) में रखे जाते हैं, जो कि कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दिया गया होता है। इस प्रक्रिया ने तिब्बती बौद्धों के बीच भारी नाराजगी और नफरत पैदा की है।

भविष्य के दलाई लामा की पहचान पूर्व में पुराने पारंपरिक तरीकों से अनुयायियों के बीच से की जाती थी। तथापि, जैसे ही एक लड़के को दलाई लामा घोषित किया गया, उसे बीजिंग की सरकार ने अगवा कर लिया और तब से उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

‘3 से 5 करोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की रिश्तत निजी संस्थानों से ली गई थी, ताकि एनएमसी की मान्यता मिल सके, चाहे मेडिकल बुनियादी ढांचा कैसा भी हो।

डॉ. मेहरोत्रा ने कहा, “यह कहानी स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर शुरू हुई, जहाँ अधिकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित संवेदनशील फ़ाइलों को एक्सेस और साझा करते हैं।” ये दस्तावेज, जिसमें आंतरिक नोटिंग, निरीक्षण कार्यक्रम और पहचान की जानकारी होती है, उन्हें गुप्तचर तरीके से मोबाइल के माध्यम से निजी एजेंटों को भेजा जाता है, जो देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए काम करते हैं, और यह सब नकदी के बदले किया जाता है।

उन्होंने कहा, इस प्रारंभिक जानकारी से कॉलेजों को निरीक्षणों का आयोजन करने में सहायता मिलती है, जिसमें नकली फैकल्टी, प्रांक्सि मरीज और जाली बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखाई जाती थी, जिससे इन्हें एनएमसी से अनुकूल रिपोर्ट मिलती थी।

डॉ. मेहरोत्रा ने पुष्टि की, निरीक्षण टीमों को नियमित रूप से रिश्तत दी जाती थी, और कुछ मामलों में, अधिकारियों ने कॉलेजों को जाली दस्तावेज व फर्जी योग्यता तय करने में मदद तक दी, ताकि इन अधिकारियों द्वारा नियामक कार्यवाही पूरी की जा सके और इन कॉलेजों को मान्यता मिल सके।

शताब्दी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोमवार को यहां केशव कुंज में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज में धर्म जागरण और बुद्धि का दूर करने को लेकर देशभर में मंडल और गांव स्तर पर एक लाख से अधिक जागहों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह खंड और नगर में 11,360 स्थानों पर सामाजिक सद्भाव बैठकें और 924 जिलों में प्रमुख नागरिक गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आगामी दो अक्टूबर, विजयदशमी से शुरू होंगे और एक साल तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाएगा।

बिहार मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई 1 0 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को विचार होगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत गुरुवार को इस मामले में विचार करेगी।

बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाये जा रहे हैं। विभिन्न

‘अशोक गहलोत सुर्खियों में रहना बंद कर, धरातल पर आयेँ’

संसदीय कार्यमंत्री जोगा राम पटेल ने कहा कि गहलोत की पार्टी का अध्यक्ष ही उनकी बात खारिज कर रहा है

जोधपुर, 7 जुलाई (कांस)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों को उनकी पार्टी के अध्यक्ष ही खारिज कर रहे हैं। पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र संबंधी बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।

पटेल ने कहा कि वे कहते हैं, सीएम हट जाएंगे, जबकि उनके नेता गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सरकार पांच साल चलेगी, गहलोतजी के पास कोई शिगूफा आया होगा। ऐसे में उनको सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए। पटेल ने कहा कि गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ समझौते के लिए बात की है, जिसका जवाब केन्द्रीय मंत्री ने दिया है,

■ **पटेल ने कहा कि गहलोत को समझना चाहिये कि समय के साथ सभी किनारे आते हैं। उन्हें इसे सहन करना चाहिये व अपनी पार्टी के नये लोगों को आशीर्वाद देना चाहिये।**

क्योंकि एक पुत्र के मन में अपनी मां के अपमान के प्रति स्वाभाविक पीड़ा होती है। पटेल ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उनको यह समझना चाहिए कि समय के साथ धीरे-धीरे सभी लोग किनारे आते हैं, इसलिए इसे सहन करना चाहिए। अपनी पार्टी के नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए।

पटेल ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने की कोई कवायद नहीं है। हमारे नेतृत्व ने साफ कहा है कि हमारे यहां सीएम पांच साल के लिए बनता है, इसलिए सीएम बदलने का सवाल ही नहीं है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इस कारण पीएम खुद तीन दौर लगातार कर चुके हैं, इसलिए भजनलाल शर्मा पूरे पांच साल

काम करेंगे और प्रदेश का विकास करते रहेंगे और अगले टर्म में भी सीएम भजनलाल शर्मा ही होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच मानहानि के मामले को लेकर चल रहे विवाद पर पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत ने रिपोर्ट को देखकर उनकी माताजी का नाम लिया, यदि ऐसा है तो वे उसे सामने रखें। पटेल ने दावा किया कि जो रिपोर्ट जांच एजेंसी एसओजी ने कोर्ट में पेश की है, उसमें, ऐसी किसी भी रिपोर्ट में, शेखावतजी की माताजी सहित किसी सदस्य का नाम नहीं है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते आरोप लगाए थे। अब कह रहे हैं कि समझौता कर लो। इसके लिए शेखावत

ने इनकार किया है।

मंत्री पटेल ने हनुमान बेनीवाल के उस आरोप का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता बिना अधिकार सरकारी आवास में रह रहे हैं। पटेल ने कहा कि हमारा कोई भी नेता या विधायक बिना अधिकार के सरकारी आवास में नहीं रह रहा है। उनको क्या है कि विधायक नहीं होते हुए ए सीएम आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वे किस हँसियत से वहां रह रहे हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि नाम है तो सूची बताएं।

गुजर आरक्षण को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय कमेटी पर पटेल ने कहा कि सभी विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट दर्ज मंगवा ली है। अब समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, आंदोलन में शामिल लोगों से मिलेंगे। उनकी सुनवाई कर उनका पक्ष जायेंगे। उनको जो न्यायोचित हक मिलना चाहिए, वह दिलाने का प्रयास करेंगे। इससे नाराजगी दूर होगी।

थपड़ कांड...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रकरण साधारण मारपीट का है, जबकि उसे हत्या का प्रयास का बताकर रिपोर्ट दर्ज की गई। बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए सीसीटीवी और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग में एसडीएम का गला घोटने जैसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसके अलावा एसडीएम की मेडिकल रिपोर्ट में भी न तो गले पर और ना ही शरीर के किसी अन्य हिस्से पर ऐसी कोई प्राणघातक चोट मिली है। मामले में पुलिस ने न सिर्फ बीएनएस की धारा 109 (1) के तहत हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं इसी धारा में आरोप पत्र भी पेश कर दिया। दूसरी ओर अदालत ने भी सीसी धारा में याचिकाकर्ता पर चार्ज फ्रेम कर दिए। जबकि प्रकरण ज्यादा से ज्यादा साधारण मारपीट का ही बनता है। इसलिए उसके खिलाफ किए गए चार्ज फ्रेम आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीट ने निचली अदालत को कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

एसआई 2021 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती को फिलहाल निरस्त नहीं करने की बात कही है और इसे मुख्यमंत्री स्तर पर भी सहमति दी जा चुकी है। इस याचिका में सब कमेटी के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए। यदि याचिकाकर्ता सब कमेटी के निर्णय को चुनौती देना चाहे तो उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सकता है।

इस दौरान अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर मामला इतने दिनों तक लंबित क्यों रहा। इसके साथ ही अदालत में पहले की राय को लेकर सारी नोटशेड पेश क्यों नहीं की गई। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली का परीक्षण चल रहा था और मामले में पूरी पारदर्शिता से निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्राथम पत्र का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती रद्द करने की मांग आज भी जीवित है। कोर्ट की ओर से कार्र-बार कहने के बाद ही भर्ती निरस्त नहीं करने का निर्णय पेश किया गया है। ऐसे में याचिका को सारहीन नहीं कहा जा सकता।

■ **बिहार में विधानसभा से पहले मतदाता सूचि के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले का राजनीतिक दलों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी विरोध कर रही हैं।**

राजनीतिक दलों के अलावा, कई स्वयंसेवी संस्थाएं पुनरीक्षण के लिए निर्धारित समय समेत, अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आयोग के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के गत 24 जून को जारी उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14,

19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21 ए के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस आदेश को रद्द नहीं किया गया तो, मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना, लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि आरोपी बाहुल्य और प्रभावशाली है। धौलपुर में केस की सुनवाई होने से याचिकाकर्ता के साथ-साथ गवाहों की जान-माल को भी खतरा है। आरोपी मलिंगा के खिलाफ अन्य अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। ऐसे में केस को धौलपुर से बाहर भेजा जाए।

तहव्वुर राणा ने माना कि वह पाक सेना के बेहद करीब है एनआईए की पूछताछ में राणा एक एक करके कई राज उगल रहा है

■ **राणा ने बताया कि रावल पिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद उसे पाकिस्तान की सेना ने कई महत्वपूर्ण मिशनों पर अलग-अलग देशों में भेजा था।**

की। ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और माना जाता है कि 26/11 मुंबई हमलों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राणा कई भाषाओं जैसे – हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और पश्तो का जानकार है।

वहीं, क्राइम ब्रांच को दिए अपने

बयान में राणा ने डेविड हेडली के बारे में भी कई खुलासे किए। उसने बताया कि 2003 और 2004 के बीच हेडली ने लश्कर-ए-तैय्यबा के साथ तीन ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लिया था, हालांकि उसे सभी कोर्स के नाम याद नहीं हैं।

जब उससे पूछा गया कि मुंबई में पहला इमिग्रेशन सेंटर खोलने का विचार किसका था, तो राणा ने दावा किया कि यह पूरी तरह से उसका अपना विचार था, हेडली का नहीं। हेडली की भेजे गए पैसों के बारे में राणा ने कहा कि यह रकम कारोबारी खर्च के तौर पर भेजी गई थी। राणा ने यह भी स्वीकार किया कि मुंबई में ऑफिस होने के बावजूद कलाईट हासिल करने में चुनौतियां आईं।

अपने पिछले सैन्य करियर के बारे में बताते हुए राणा ने बताया कि

सियाचिन में एक आसइनमेंट के दौरान, उसे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़ा। इस लंबी अनुपस्थिति के कारण उसे भगोड़ा घोषित कर बर्खास्त कर दिया गया।

पुलिस ने यह भी बताया कि डेविड हेडली के कोर्ट में दिए हुए बयान के बारे में भी राणा की स्टडी अच्छी है।

‘जेन स्ट्रीट की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रूप में काम करती हैं। सेबी ने कहा है कि जेन स्ट्रीट की बड़े पैमाने पर खरीदारी ने खुदरा निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रभावित किया, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ।